257

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 936314

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

स्मृति पत्र

यह ट्रस्ट डीड दिनांक 23 जुलाई 2012 को गाजियाबाद में मिस संजू बारिक पुत्री स्व0 श्री पी0सी0 बारिक निवासी डी–301, एस0पी0एस अपार्टमेंट्स–II राधेश्याम पार्क, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा घोषित एवं कार्यान्वित की गयी है। यह ट्रस्ट Alternative To Addiction Creating Centre (AACC TRUST) कहा जायेगा और संजू बारिक को बाद में सैटलर कहा जायेगा। PAN ALPPB4895A

विदित हो कि ट्रस्टी धनराशि अंकन रू0 5,000/– रूपये के एकमात्र स्वामिनी व अधिकारी है जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है, जिसकी पूर्ति हेतु न्यासियों ने इस राशि अंकन 5,000/– रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दिया है और दे दिया है कि नयासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे।

Sanju Barik

Alternative to
Addiction Creating Centre

क्रम सं0 29 स्टाम्प विक्रय की तिथि 18-7-12
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रय करने वाले का नाम
पता
स्टाम्प का मूल्य

नरेन्द्र कुमार एवं स्टाम्प विक्रेता
ला0 नं0 30, लाईसेन्स की अवधि-31-3-2013
विक्रय स्थान -- डी-31, डी0डी0 प्लाजा, शॉप नं0 5
आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद

न्यास पत्र

5,000.00	100.00	40	140.00	2,000	
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

पुत्री श्री संजू बारिक स्व पी सी बारिक
व्यवसाय नौकरी गृहिणी अन्य
निवासी स्थायी डी-301 एस पी एस अपार्ट राधेश्याम पार्क गाबाद
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/7/2012 समय 4:36PM
वजे निवन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक (तृतीय)
गाजियाबाद
23/7/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी
संजू बारिक
पुत्री श्री स्व पी सी बारिक
पेशा नौकरी गृहिणी अन्य
निवासी डी-301 एस पी एस अपार्ट राधेश्याम पार्क गाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सतीश चन्द्र
पुत्र श्री बी के अग्रवाल
पेशा नौकरी गृहिणी अन्य
निवासी आर-9/119 राजेन्द्र नगर गबाद
व श्री प्रदीप गोयल
पुत्र श्री स्व एस सी गोयल
पेशा नौकरी गृहिणी
निवासी डी301 एस पी एस अपार्ट साहिबाबाद गाबाद
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक (तृतीय)
गाजियाबाद

Alternative to
Addiction Creating Centre

इस ट्रस्ट के द्वारा कोई चल–अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण नहीं की गयी है। अतः यह ट्रस्ट डीड कर दी है कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

1. ट्रस्ट का नाम : **अल्टरनेटिव टू एडिक्शन क्रियेटिंग सेन्टर (ए0ए0सी0सी0)**

2. पंजीकृत कार्यालय : ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय--डी–301, एस0पी0एस–एपार्टमेंट्स–II राधेश्याम पार्क, साहिबाबाद, गाजियाबाद में स्थित होगा, जो आवश्यकतानुसार किसी अन्य स्थान पर बदला जा सकता है।

3. कार्य क्षेत्र : समस्त भारत

4. ट्रस्ट मण्डल:

क्र. सं.	नाम	उम्र	पिता का नाम	पता	पद
1.	संजू बारिक	40	स्व0 पी.सी. बारिक	डी--301 एसपीएस अपार्टमेंट्स–II राधेश्याम पार्क, साहिबाबाद, गाजियाबाद	समाजसेवी (सेटलर)
2.	रविन्द्र कुमार	36	चौहल सिंह	ग्राम नगला सलेमपुर पो. राधना जिला मेरठ उ0प्र0	समाजसेवी
3.	विकास रेखी	39	सोम नाथ	मं0नं0 240 वार्ड–15 मोहल्ला–मातारानी, खन्ना, लुधियाना (पंजाब)	समाजसेवी

5. ध्येय एवं उद्देश्य :

1. ड्रग अथवा एल्कोहल, नशे से ग्रसित लोगों को नशे से मुक्ति दिलाना, व्यवहार सम्बन्धी विचार विमर्श तथा उपचार करना और उन का सम्पूर्ण पुर्नवास सुनियोजित करना।

2. नशे से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए नशा–मुक्ति एवं पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना करके उनका उपचार करना तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देना जिससे ऐसे व्यसनी समाज की मुख्य–धारा में आ सके।

Sanju Barik

Alternative to
Addiction Creating Centre

न्यासी

Registration No.: 257 Year : 2,012 Book No. : 4

0101 संजू बारिक Sanju Barik

स्व पी सी बारिक

डी-301 एस पी एस अपार्ट राधेश्याम पार्क गाबाद

नौकरी गृहिणी अन्य

Alternative to Centre

3. एच0आई0वी0 तथा एड्स जैसी खतरनाक, बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना, इन बीमारियों से बचाव एवं उपचार करना।

4. निःशुल्क कानूनी मदद प्रदान करना, विचार–विमर्श एवं सलाह विशेषकर उन लोगों को देना जो न्यायिक प्रक्रिया द्वारा परीक्षण/परखें जा रहे है, व्यसनी है तथा उनके परिवानजन।

5. स्वास्थ्य, रक्तदान, आदि शिवरों का आयोजन करके जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार देना।

6. दूसरी संस्थायें जो इस तरह की परोपकारी सेवाओं में संलग्न है उनको प्रशिक्षण एवं समन्यवन सेवायें देना।

7. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाओं का प्रचार प्रसार करना विशेषकर व्यसनी एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का।

8. अक्षम एवं विकलांगजनों तथा निर्धन/अनाथ बच्चों के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

9. कोई भी ऐसा कार्य/योजना जो समाज के लिए हितकारी, कल्याणकारी और परोपकारी हो।

10. शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्य क्षेत्र में प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कॉलेज आवश्यकता होने पर डिग्री कॉलेज, तकनीकी संस्थान, चिकित्सा संस्थान तथा तकनीकी एवं दूरस्थ शिक्षा, ग्रामोद्योग व कृषि शिक्षा इंजीनियरिंग संस्थानों आदि की स्थापना करना और उनका विधिवत संचालन कर बालक, युवक, युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना।

11. असहाय बच्चों को शैक्षणिक, भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और निःशुल्क स्वास्थ्य केन्द्रों बाल आश्रम, वृद्धा आश्रम व शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना।

Sanjay Banik

Alternative to
Additional Deputy Commissioner

12. केन्द्रीय व राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कड़ाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वस्तुकला, हस्तकारी, दरी कालीन, ड्राइंग पेंटिंग, कला प्रशिक्षण तथा टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, हार्डवेयर नेटवर्किंग एवं फैशन डिजाइनिंग एवं ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना।

13. महिलाओं एवं बच्चो के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रां के पिछड़े एवं मलिन बस्तियों में में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु, पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों आदि को चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की रोजगार पूरक, प्रशिक्षण देना।

14. पेयजल समस्या को दूर करने एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु जरूरी व्यवस्था करना।

15. नागिरकों के कल्याणार्थ वर्ल्ड बैक, के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं का सफल संचालन व उनकी उन्हें जानकारी देना।

16. नेत्रदान शिविरों, रक्तदान शिविरों के आयोजन शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरान्त करना।

17. निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे– स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, इंडकों, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्सा, नवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा राष्ट्रीय महिला कोष बाल विकास पुर्नवास महिला कल्याण निगम, वस्तुशिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

Alternative to
Addiction Creating Centre

मंत्रालय, मत्सय विभाग, राजीव गांधी फाउंडेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, अनुवित्त विकास निगम, उद्योग निदेशालय, लघु उद्योग निदेशालय, अल्प संख्या आयोग/बोर्ड, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू युवा योजना आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों तले चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।

18. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अंधे, कुष्ठरोग व मूक वधिरों, विकलांगों व निराश्रित लाचार, वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना व बालाश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थानपा करना और समय–समय पर दूध, वस्त्र, अनाज, कम्बल, फलों व दवाओं का निःशुल्क वितरण करना एवं रैन बसेरों, शौचालयों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करना।

19. देवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प, आगजनी, एक्सीडेंट आदि के समय पीड़ित जनता के मध्य राहत कार्य करना, उन्हें दवा भोजन, वस्तु आदि की मदद पहुंचाना।

20. ग्रामणी व शहरी क्षेत्र में लघु व कुटीर उद्योग की स्थापना कर श्रमिकों व बेरोजगारों को निःशुल्क रोजगार दिलाने का प्रयास करना तथा शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु कच्च माल खरीदना एवं तैयार माल को विक्रय करना प्राप्त आय को संस्था हितार्थ व्यय करना।

21. सरकारी, गैर सरकारी अद्ध सरकारी विभागों, मंत्रालयों उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग निगम, सरकारी बैंको, राष्ट्रीयकृत बैंकों से आर्थिक सहायता, ऋण व अनुदान सेवा एवं अन्य सहयोग लेना।

22. वृक्ष रोपण, प्रदूषण नियंत्रण, जनसंख्या केन्द्रों आदि का संचालन करना।

23. कृषकों को बढ़ावा देना तथा मशरूम की खेती करना, देशी खाद्य, कम्पोज खाद्य, बीज एवं कीटनाश्क, औषधियों का निर्माण करना तथा कृषि प्रधान देश में किसानों को सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए कृषि नीति तैयार

Sanjay Banerjee
Alternative to
Addiction Creating Centre

करना व कृषि उन्नति को बढ़ावा देना। किसानों में भाईचारे की भावना पैदा करना एवं समस्याओं को सुलझाना व शासन, प्रशासन तक पहुंचा। मानवीय स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधियों, दवाओं का निर्माण करना।

24. संस्था का उद्देश्यों पशुधन मानवरों के स्वास्थ्य, संरक्षण, संबर्द्धन करना व उनके लिये पशु चिकित्सालय पशुशाला की व्यवस्था करना व उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित करने व जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

25. प्रदेश में तेजी से लुप्त मूल प्रजाति गौवंश रक्षा संबर्द्धन विकास व गौशाला की स्थापना करना एवं उसके द्वारा स्थापित सेमिनार आदि में भाग लेना व सहयोग करना।

26. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चलचित्र बनाना, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों की पल जन–जागृति शिविरों, कला प्रदर्शनी का आयोजन करना तथा प्रौढ़ शिक्षा, अनऔपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, बालाश्रम, उन्मूलन कार्यक्रम, गरीब उन्मूलन तथा सरकार का सहयोग करना।

27. समाज की निर्धन कन्याओं की शादी करना व उनका सहयोग करना, दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन करना एवं परित्याक्ताओं व विधवाओं को पुर्नविवाह हेतु प्रेरित करना तथा युवक–युवतियों का परिचय सम्मेलन करना एवं कराना।

28- डी० - 301 एल० पी० एस० अपार्टमेन्ट - II राधेश्याम पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।

Sanjay Barnwal

उप–नियम (By-Laws)

सैटलर की शक्ति (Power):

1. **सैटलर की शक्ति :** सैटलर पूर्णरूप से यह हक रखता है कि वह किसी भी न्यासी को नियुक्त अथवा हटा सकता है।

2. **ट्रस्ट की प्रकृतिः** ट्रस्ट एक धमार्थ पब्लिक सेवा के लिए स्थापित किया है तथा इसका ध्येय कोई व्यवसायिक अथवा पैसा अर्जित करना नहीं है। इसकी गतिविधियों से प्रत्येक भारतीय नागरिकों को बिना भेदभाव के लाभान्वित करने का उद्देश्य है। ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति सिफ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जायेगी।

3. **ट्रस्ट का प्रबन्धनः** इस ट्रस्ट का प्रबन्धन कम से कम (3) तीन तथा अधिक से अधिक (15) पन्द्रह न्यासियों द्वारा किया जायेगा। संस्थापक न्यासी आजीवन के लिए कार्यभार देखेंगे। शेष न्यासियों को सहयोजित अथवा नामांकित किया जायेगा।

   चेयरमैन, सचिव तथा खजांची का चुनाव न्यासियों द्वारा तीन वर्ष में एक बार किया जायेगा। सचिव की जिम्मेदारी–रोजमर्रा–सामान्य प्रबन्धन ट्रस्ट की सम्पति और इससे सम्बन्धित कार्य, न्यासियों की मीटिंग करना, मीटिंग में लिए निर्णयों के मिनिट्स, हिसाब किताब, रिकार्डस तथा दूसरे डाक्यूमेन्टस आदि से सुचारू रूप से करना है।

4. **न्यासियों के आफिस में बने रहने की शर्तेंः** स्थायी न्यासी जीवनभर के लिए जुड़ा रहेगा। सहयोजित तथा नामांकित न्यासी का कार्य काल 3 वर्ष का रहेगा तथा वह दोबारा नामांकित किये जा सकते हैं।

5. **रिक्तियोंः** निम्न कारणों से न्यासी की नियुक्ति तुरनत निरस्त हो सकती है– दीवालिया होना, पागल होना, किसी जुर्म में सजा होना, आचरण खराब होना, चरित्रहीनता होना, स्वयं इस्तीफा देना।

Sanjay Banku

Alternative to
Addiction Creating Centre

रिक्त स्थान पर नये ट्रस्टी की नियुक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा अगली मीटिंग में निर्णय के लिए प्रस्तावित होगी। रिक्त स्थानों की वजह से बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के निर्णय अवैध नहीं होंगे।

6. **ट्रस्टी की पावर : –**

(1). ट्रस्टीस को शक्ति प्रदान की गयी है कि वह दान, चंदा, ग्रान्ट्स, देय किसी भी प्रकार से रोकड़ या वस्तु कम्पनी, फर्म, एसोसिएशन या व्यक्ति, हिन्दु अविभाजित परिवार या पारिवारिक न्यास या न्यासों या कारपोरेट बोडी, सरकार या अर्धसरकार, को–आपरेटिव सोसाइटी से ट्रस्ट की बेहतरी के लिए तथा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति अथवा बढ़ाने के लिए स्वीकार कर सकते हैं।

(2). ट्रस्टी को सम्पूर्ण शक्ति प्रदान की गयी है कि ट्रस्ट की सम्पत्ति का यथा योग्य संचालन करें। वे इसके लिए पूंजी का निवेश सेक्शन 11 से 13 इन्कम टैक्स 1961 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार करें।

(3). ट्रस्ट की सम्पत्ति तथा वस्तुओं की सुरक्षा, देखभाल, रखरखाव आदि न्यासी द्वारा की जायेगी।

(4). कर्मचारी की नियुक्ति, निरस्तीकरण आदि ट्रस्टी द्वारा की जायेगी न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए ट्रस्टी कार्य करेंगे जिससे ठीक से समाधान हो सके।

(5). ट्रस्टी की गतिविधियों के लिए हर प्रकार का जरूरी खर्चा ट्रस्ट में जमा पूंजी अथवा आय से कर सकते हैं।

(6). ट्रस्ट के उद्देयों की पूर्ति हेतु किसी भी ऐसे व्यक्तियों को जो समाजसेवी या आर्थिक मदद या सामाजिक क्षेत्र में विशेषता रखते हो, उनको आजीवन मेम्बर/संरक्षक बना सकते है। इनकी संख्या अधिकतम (50) पचास रहेगी।

7. **ट्रस्टीस द्वारा कार्यक्रम का संचालनः–** ट्रस्टीस ट्रस्ट के सुचारू रूप से संचालन हेतु तीन महीनें में एक दफा मीटिंग करेंगे। इसकी अवधि आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा भी की जा सकती है। ट्रस्ट के चेयरमैन इसकी अध्यक्षता करेंगे। मीटिंग

Sanjay Barik

Alternative

साधारण बहुतायत में उपस्थित ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है वशर्ते कोई विशेष प्रयोजन हेतु सभी ट्रस्टी की उपस्थिति जरूरी न हो। चेयरमैन की अनुपस्थिति में न्यासियों में कोई भी ट्रस्टी मीटिंग की अध्यक्षता कर सकता हैं। इसके लिए उपस्थित ट्रस्टी का बहुमत जरूरी है।

8. हिसाब किताब तथा विवरण तैयार करना :–_ट्रस्टी ट्रस्ट के हिसाब किताब तथा मीटिंग का विवरण सत्य तथा सही रखेंगे। पैसे की प्राप्ति तथा अदायगी एवं ट्रस्ट सम्बन्धी सभी सम्पत्ति का विवरण आदि ब्यौरा विधिवत तथा सही रखा जायेगा।

9. क्षतिपूर्ति /हरजाना :– न्यासियों को जो शक्तियां और हैसियत ट्रस्ट ने प्रदान की है, इनके मद्देनजर अगर ट्रस्टी से अनजाने एवं सच्चे विश्वास के होते हुए किसी भी प्रकार का उनके खिलाफ क्लेम, कार्यवाही, नुकसान का होना या जिम्मेदारी बनती है तो ट्रस्ट गहन जांच–पड़ताल के पश्चात विचार विमर्श कर के उपयुक्त निर्णय लेगा।

10. ट्रस्टी के अपरिवर्तनीय/संशोधन :– ट्रस्टी के प्रावधानों को 3/4 न्यासियो के मतों द्वारा बोर्ड आफ ट्रस्टीस की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके या एकमत हो कर संशोधित अथवा बदला जा सकता हैं। बशर्ते ट्रस्ट का स्वरूप चैरिटेबिल ट्रस्ट के अंतर्गत इसकी बढ़ोत्तरी के वास्ते जो उद्देश्य बनाये गये है, उनमें कोई बदलाव न आये। यह ट्रस्ट अपरिवर्तनीय है।

11. ट्रस्ट का बैंक एकाउन्ट:– करेन्ट, फिक्सड, सेविंग्स या दूसरा कोई ट्रस्ट के नाम एकाउन्ट खोला जायेगा। यह एकाउन्ट किसी भी श्डूल बैंक में ज्वाइंटली अथवा सिंगल नाम से हो सकता हैं।

12. ट्रस्टीस, ट्रस्ट को वस्तुओं, सम्पत्ति जमापूंजी जिसमें सिक्योरिटी तथा बैंक गारंटी भी शामिल है, किसी भी कारपोरेट बोडिज, व्यक्ति, फर्म, इन्स्टीटयूसन, ट्रस्ट को गारंटी दे सकता है। ट्रस्टीस निजी तौर पर इन गारन्टी या सिक्योरिटी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे बशर्ते उनकी जानबूझ से लापरवाही न हुई हो।

Sanjay Banka

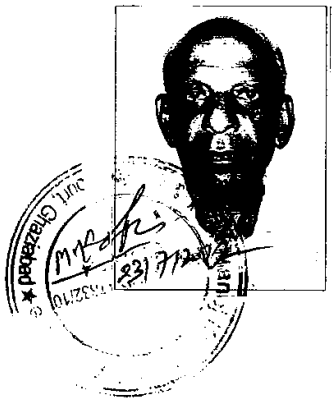

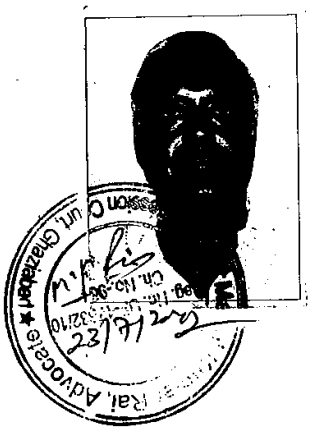

Alternative to
Addiction Creating Centre

13. ट्रस्टीस को शक्ति प्रदान की गयी है कि वे ट्रस्ट की चल अथवा अचल सम्पत्ति को बेच सके, उपहार से दे, लीज पर दें, दूसरे को ट्रान्सफर कर सकेंगे। इस प्रकार जो धन एकत्रित होगा वह ट्रस्ट के फंड का हिस्सा होगा। यह उसी प्रकार से माना जायेगा जैसे ट्रस्ट दूसरी वस्तु खरीदता है।

14. ट्रस्ट को शक्ति प्रदान की गयी है कि वह वकील, प्लीडर, एडवोकेट नियुक्त कर सके जो किसी भी न्यायिक प्रक्रियाओं में ट्रस्टके हित में कार्यवाही कर सकें।

15. ट्रस्ट का एकाउन्टिंग वर्ष अप्रैल से मार्च तक का तथा आगामी वर्ष के एकाउन्ट्स आडिट किसी "चार्टेड एकाउन्टेंट या आडिटर जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज नियुक्त करेगा, उससे करायेगा।

18. ट्रस्ट का निर्धारणः— ट्रस्ट के निर्धारण हेतु या ट्रस्ट की अवनति के वक्त किसी कारण वश ट्रस्टीस ट्रस्ट के फण्ड और सम्पत्ति को किसी दूसरे ट्रस्ट को ट्रान्सफर के लिए बोर्ड आफ ट्रस्टीस को रिजोल्यूशन पास करके निर्णय लेंगे। ट्रान्सफर के लिए जरूरी है कि चुना गया ट्रस्ट या इन्सटीट्यूशन हमारे ट्रस्ट से मिलते जुलते उद्देश्य रखता हैं।

गवाह : 1 SATISH CHANDRA S/O BK Agarwal
R-9/119 Raj Nagar, Gbd Voter ID NO FVX 2912996

गवाह 2 PRADEEP GOYAL S/O L. SC Goyal
D-301 SPS Apartments II
Sahibabad, Gbd.

D.L. No P-6662/93/92

सेटलर
(SANJY BARICK)
D/O LT SRI P.C. BARICK
D-301, SPS APPTS - II
SAHIBABAD GZB

DRAFTING BY MANOJ KUMAR RAI
CIVIL COURT GAZIABAD
CHAMBER NO. 626, 627

Manoj Kumar Rai, Advocate, Civil Court, Ghaziabad
23/7/2012

Alternative to
Addiction Creating Centre

आज दिनांक **23/07/2012** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **795**

पृष्ठ सं. **21** से **40** पर कमांक **257**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक (तृतीय)
गाजियाबाद
23/7/2012

Alternative to
Auction Greeting Centre